

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील संख्या – 791/2018

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक उत्तर रेलवे

...अपीलकर्ता (गण)

बनाम

देवीदीन गौतम एवं एक अन्य

... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – चन्द्र शेखर सिन्हा, राज कुमार सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : –

न्यायालय संख्या – 20

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह अपील रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 23 के अंतर्गत रेलवे दावा अधिकरण, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ (एतदपश्चात 'अधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा वाद संख्या ओए/॥/यू/257/11 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 14.09.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा दावेदारों-विरोधी पक्षकारगण के पक्ष में ब्याज सहित 8,00,000/- रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया है।
3. वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 22/23.06.2010 को, कोई भूपेंद्र द्वितीय श्रेणी के वैध टिकट के साथ लखनऊ-सहारनपुर अप पैसेंजर ट्रेन द्वारा लखनऊ से रहीमाबाद की यात्रा कर रहा था। अत्यधिक भीड़ और अचानक लगे झटके के कारण, वह ट्रेन से गिर गया, उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में उसने दम तोड़ दिया। तत्पश्चात, मृतक के परिवार के सदस्यों ने अधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर की।
4. अधिकरण ने पक्षकारों को सुनने और दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद निम्नलिखित वाद बिंदु विरचित किए:

"1. क्या मृतक प्रश्रगत ट्रेन का वास्तविक यात्री था?

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2 क्या मृतक की मृत्यु की घटना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124-क सहपठित धारा 123(ग)(2) के अंतर्गत परिभाषित एक अप्रिय घटना के दायरे में आती है?

3. मृतक के आश्रित कौन हैं?

4. वे किस अनुतोष के अधिकारी हैं? "

5. अधिकरण ने पक्षकारों को सुनने और दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि ए.डब्ल्यू-2 और ए.डब्ल्यू-3 के साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मृतक ने टिकट खरीदा था और ट्रेन में चढ़ा था। अधिकरण ने धारित किया कि चोटों को देखते हुए यह काफी संभव है कि टिकट खो गया हो। पंचायतनामा रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि मृतक की मृत्यु ट्रेन से गिरने के कारण हुई थी। पंचायतनामा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और रोजनामचा आम की संपुष्टि करती है। वैधानिक जांच रिपोर्ट में मात्र यह कहा गया है कि स्टेशन डायरी में मृत्यु के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। ऐसा दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मृतक की मृत्यु स्वयं को पहुंचाई गई चोटों के कारण हुई थी। तदनुसार अधिकरण ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से दावेदारों को 8,00,000/- रुपये का मुआवजा प्रदान किया।

6. इस आदेश को इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह का तर्क है कि मृतक के शरीर से कोई टिकट बरामद नहीं हुआ था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक एक वास्तविक यात्री था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

9. यह स्पष्ट है कि इस मामले में, मृतक भूपेंद्र लखनऊ-सहारनपुर अप पैसेंजर ट्रेन में द्वितीय श्रेणी के टिकट के साथ लखनऊ से रहीमाबाद की यात्रा कर रहा था। हालांकि, अत्यधिक भीड़ और अचानक लगे झटके के कारण, वह ट्रेन से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसने दम तोड़ दिया। तत्पश्चात मृतक के परिवार के सदस्यों ने अधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर की। अधिकरण ने सभी दस्तावेजों और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि दावा याचिका एक वैध दावा याचिका है और आक्षेपित आदेश द्वारा 8,00,000/- रुपये का मुआवजा प्रदान कर इसे स्वीकार कर लिया। माननीय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम रीना देवी; (2019) 3 एससीसी 572 के मामले में स्पष्ट रूप से धारित किया है कि ऐसे घायल या मृतक के पास मात्र टिकट की अनुपस्थिति इस दावे को नकार नहीं देगी कि वह एक वास्तविक यात्री था।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त विधि के आलोक में, किसी घायल या मृत यात्री के पास टिकट की मात्र अनुपस्थिति दावेदारों के दावे को नकारने का आधार नहीं हो सकती है। यह सतत धारित किया गया है कि रेलवे अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे के प्रावधान अपनी प्रकृति में कल्याणकारी हैं और पीड़ितों या उनके परिवारों को अनुतोष प्रदान करने के लिए हैं। परिणामस्वरूप, भले ही मृतक से भौतिक रूप से टिकट बरामद न हो, मात्र उस आधार पर दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब यह दर्शाने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य हों कि मृतक एक वास्तविक यात्री के रूप में ट्रेन में चढ़ा था।

11. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और अधिनिर्णय तर्कसंगत हैं और इस न्यायालय को आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या अनौचित्य प्राप्त नहीं हुआ है।

12. यह अपील योग्यता रहित है और तदनुसार **खारिज** की जाती है।

13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अवर न्यायालय का अभिलेख संबंधित न्यायालय को तत्काल वापस करे।

19 मार्च, 2026

अनुपम एस

(न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार)